E-NAM

RDI Scheme

Surrogacy

Report on slum in global south

Formal and inform sector in Manufacturing sector

Arya Samaj

E-NAM

(e-NAM) के बारे में:

- **प्रारंभ:** भारत सरकार द्वारा **2016** में शुरू किया गया।
- **प्रकृति:** यह एक **पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है जो देशभर की भौतिक मंडियों और बाजारों को जोड़कर एक **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार** बनाता है।
- **कार्यान्वयन संस्था: लघु किसान कृषि व्यापार संघ (SFAC)**, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन।

उद्देश्य:

- देशभर के APMC **मंडियों का एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** के माध्यम से जोड़ना ताकि **पैन-इंडिया व्यापार** संभव हो सके।

- किसानों को **गुणवत्ता आधारित पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया** के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त हो और **समय पर ऑनलाइन भुगतान** सुनिश्चित हो।

- **खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की असमानता** को दूर करना और वास्तविक मांग-आपूर्ति पर आधारित **प्राइस डिस्कवरी** को बढ़ावा देना।

e-NAM के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

प्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना' लागू करने के क्या लाभ हैं?

1.यह कृषि उपज के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
2.यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुसार देशभर के बाजारों तक पहुंच देता है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

प्रश्न: e-NAM के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही समाधान भी सुझाइए।

RDI Scheme

अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना – 2025

- **प्रारंभ:** वर्ष 2025 में

उद्देश्य:

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी** को अनुसंधान एवं विकास (R&D) में प्रोत्साहित करना।
- विशेष रूप से **"सनराइज़" और रणनीतिक क्षेत्रों** में नवाचार को बढ़ावा देना।

आवंटन:

- कुल **₹1 लाख करोड़** की योजना, जिसे **6 वर्षों** में खर्च किया जाएगा।
- **वित्त वर्ष 2025-26** के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित।

प्रमुख विशेषताएं:

- ✓ दीर्घकालिक और कम ब्याज दर पर ऋण व जोखिम पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
- ✓ **"डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF)"** की स्थापना की जाएगी ताकि नवाचार में निजी निवेश को बढ़ावा मिले।
- ✓ **नोडल एजेंसी:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।
- ✓

कौन-कौन से क्षेत्र कवर होंगे?

वित्तपोषण तंत्र (Funding Mechanism):

योजना का महत्व:

प्रश्न:-

“Atal Innovation Mission” के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1.यह नीति आयोग की एक पहल है।
2.इसका उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

Surrogacy

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जो सरोगेसी के लिए निर्धारित आयु सीमा को चुनौती देती हैं। याचिकाकर्ता वे जोड़े हैं जिन्होंने मौजूदा क़ानून लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी।

सरोगेसी (Surrogacy):

सरोगेसी के प्रकार:

सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 के मुख्य प्रावधान

पात्रता मानदंड:

- ❑ **इच्छुक दंपति:** यदि वे सिद्ध बांझपन से पीड़ित हों।
  - ✓ महिला: 23-50 वर्ष
  - ✓ पुरुष: 26-55 वर्ष
- ❑ **विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिला (35-45 वर्ष)** भी सरोगेसी का विकल्प चुन सकती हैं।

सरोगेट माँ की पात्रता:

- ✓ इच्छुक दंपति से "निकट संबंध" हो।
- ✓ पहले सरोगेट न रही हो।
- ✓ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हो।
- ✓ विवाहित हो और स्वयं की संतान हो।
- ✓ उम्र: 25-35 वर्ष
- ✓ स्वयं के अंडाणु (eggs) का उपयोग नहीं कर सकती।
- ✓ **36 महीनों के लिए बीमा कवरेज** आवश्यक है।

निगरानी के लिए:

- ✓ **राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (NSB)** और **राज्य सरोगेसी बोर्ड (SSB)** गठित किए जाएंगे।

कानूनी विवाद: आयु सीमा पर आपत्ति

समस्या	विवरण
बहिष्कारी प्रावधान	LGBTQ+, लिव-इन जोड़े, अविवाहित महिलाएं, सिंगल पेरेंट्स सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते। यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
परोपकारी सरोगेसी का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण	महिलाओं से शारीरिक और भावनात्मक कष्ट बिना किसी आर्थिक मूल्य के सहन करने की अपेक्षा – महिलाओं के श्रम को बिना मूल्य समझना।
शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन	महिला की प्रजनन पर स्वयं निर्णय लेने की आज़ादी नहीं, जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।
काला बाज़ारी को बढ़ावा	व्यावसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध से अवैध और शोषणकारी बाजारों को बल मिल सकता है।
'निकट संबंधी' की अस्पष्ट परिभाषा	भ्रम और दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है।
बांझपन की परिभाषा सीमित	केवल गर्भधारण में विफलता को बांझपन माना गया है, जबकि अन्य स्थितियाँ भी शामिल होनी चाहिए।
गर्भपात में अंतिम निर्णय का अभाव	इच्छुक दंपति को गर्भपात के निर्णय में अंतिम अधिकार नहीं

Report on slum in global south

हाल ही में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन और *Moody’s* की *2024* रिपोर्ट ने यह उजागर किया है कि बाढ़ का खतरा विशेष रूप से **वैश्विक दक्षिण *(Global South)*** के गरीब और हाशिए पर स्थित समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

प्रमुख आंकड़े:

- हर वर्ष **2.3 अरब से अधिक लोग** बाढ़ के संपर्क में आते हैं।
- **भारत** में 60 करोड़ से अधिक लोग तटीय या आंतरिक बाढ़ के जोखिम में हैं।

Nature Cities अध्ययन के अनुसार:

- वैश्विक दक्षिण में लगभग **33% अनौपचारिक बस्तियाँ** (445 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय) बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- **भारत** में बाढ़ग्रस्त मैदानों में रहने वाले **158 मिलियन (15.8 करोड़)** झुग्गी-झोपड़ी निवासी हैं — जो कि विश्व में सर्वाधिक है।
- ये बस्तियाँ विशेष रूप से **गंगा डेल्टा** जैसे प्राकृतिक रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बसने के कारण:

बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने के परिणाम:

Formal and inform sector in Manufacturing sector

❑ हाल के दशकों में भारत के **औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र (Formal Manufacturing Sector)** में **अनुबंधित श्रमिकों (Contract Workers)** की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries – ASI) के अनुसार:

❖ वर्ष 1999-2000 में जहाँ अनुबंध श्रमिकों की हिस्सेदारी **20%** थी, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर **40.7%** हो गई है।

❖ यह प्रवृत्ति **औपचारिक क्षेत्र के अनौपचारिकीकरण (Informalisation of Formal Sector)** को दर्शाती है, जिससे **श्रमिक शोषण, वेतन असमानता, और उत्पादकता में गिरावट** जैसे चिंताजनक पहलू सामने आते हैं।

क्या है अनुबंध श्रम (Contractualisation)?

क्यों कंपनियाँ अनुबंध श्रम को प्राथमिकता देती हैं?

अनुबंध श्रम से जुड़ी चुनौतियाँ:

समस्या	विवरण
प्रिंसिपल-एजेंट समस्या	ठेकेदारों के हित फर्म के दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल नहीं खाते
नैतिक जोखिम (Moral Hazard)	नौकरी की असुरक्षा के कारण श्रमिक काम में रुचि नहीं लेते
कौशल विकास में कमी	लगातार श्रमिकों के बदलते रहने से दीर्घकालिक दक्षता नहीं बनती
प्रशिक्षण में निवेश की कमी	कंपनियाँ अनुबंध कर्मचारियों में प्रशिक्षण देने से बचती हैं

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Labour Code on Industrial Relations):

- कंपनियों को **सीधे तयशुदा अवधि (Fixed-Term)** के अनुबंध पर श्रमिक नियुक्त करने की अनुमति देता है।

- इसका उद्देश्य श्रमिकों को **बुनियादी लाभ** देना है, जैसे सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तें।

- **अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है**; ट्रेड यूनियनें आशंका जता रही हैं कि इससे **अनौपचारिकरण बढ़ सकता है**।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) – 2016-2022:

- **उद्देश्य:** औपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना।
- सरकार ने **EPF व EPS में 12% योगदान** अपने जिम्मे लिया।
- योजना से **1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिला**, पर इसे 2022 में बंद कर दिया गया।

Arya Samaj

- **आर्य समाज** की स्थापना **स्वामी दयानंद सरस्वती** ने **1875** में एक **हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन** के रूप में की थी।

- यह आंदोलन विशेष रूप से **उत्तरी भारत**, खासकर **पंजाब (अब पाकिस्तान का हिस्सा)** में 19वीं सदी के अंत में लोकप्रिय हुआ।

- आर्य समाज ने उन व्यक्तियों को अपने **वैदिक एकेश्वरवादी हिंदू धर्म** में वापस लाने की पहली संगठित कोशिशें कीं जो अन्य मतों या विचारधाराओं से जुड़े थे। इसे उसने **"शुद्धि" (शुद्धिकरण)** प्रक्रिया कहा।

- आर्य समाज ने **अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों** को प्रगतिशील दृष्टिकोण से अपनाया और बढ़ावा दिया।

आर्य विवाह वैधता अधिनियम, 1937

- ❑ यह कानून **1937** में पारित हुआ और इसका उद्देश्य था **आर्य समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार कराए गए विवाहों को कानूनी वैधता** देना।

- ❑ आर्य समाज विवाहों में **सरल वैदिक विधियों** का पालन होता है, और इसके लिए केवल यही आवश्यक है कि दोनों पक्ष **विधिक उम्र के हों** और स्वयं को **आर्य समाजी मानते हों** — चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न रहे हों।

- ❑ यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि यदि दूल्हा-दुल्हन अलग जाति या पूर्व में अन्य धर्म से संबंधित रहे हों, तो भी यह विवाह **अमान्य नहीं** माना जाएगा।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और आर्य समाज विवाह:

- **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** केवल हिंदुओं पर नहीं बल्कि **बौद्ध, जैन और सिख धर्मावलंबियों** पर भी लागू होता है।

- अन्य धर्मों के व्यक्ति यदि **आर्य समाज के तहत विवाह** करना चाहते हैं तो उन्हें पहले **हिंदू धर्म में परिवर्तन (conversion)** करना होता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के लागू होने से पहले, आर्य समाज ही एकमात्र वैकल्पिक व्यवस्था थी जिससे कोई हिंदू **जाति या धर्म के बाहर विवाह** कर सकता था और फिर भी अपने **जातीय पहचान को बनाए रख सकता था**।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act)

आर्य समाज विवाह से जुड़ी चुनौतियाँ

Thank you